



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

आदेश सं०: SHSB/GA/HR/7404/2022/6720

पटना, दिनांक: 09/02/2023

-: आदेश :-


विज्ञापन संख्या-06/2020 के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत **Block Community Mobilizer (BCM)** के संविदागत पदों पर आदेश संख्या-4334 दिनांक 21.10.2022 के आलोक में उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध चयनित अधोलिखित अभ्यर्थियों को एकमुश्त मानदेय ₹12,000/- (बारह हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह पर नियोजन हेतु उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित जिला के सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव के निपटारे पर जिला स्वास्थ्य समिति के अधीन आवंटित/पदस्थापित किया जाता है। इनकी नियुक्ति उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

क्र.सं.	रौल नम्बर	BCM का नाम	जन्मतिथि	चयनित कोटि	आवंटित/पदस्थापित जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	30648569	Priyesh Kumar Jaiswal	19.11.1991	UR	West Champaran
2.	32350741	Sujit Kumar	16.02.1989	UR	Nawada
3.	31950265	Sumit Sinha	08.02.1984	UR	East Champaran
4.	31349317	Uttam Chandra	14.02.1993	UR	Nawada
5.	30848619	Pranav Shankar Jha	30.12.1989	UR	Samastipur
6.	30648510	Jitendra Dutt Gupta	08.07.1989	UR	Siwan
7.	31048968	Prashant Kumar Tiwari	15.03.1993	UR	Gopalganj
8.	33351966	Gulshan Kumar	07.11.1994	UR	Begusarai
9.	31349335	Sumit Kumar	05.01.1993	UR	West Champaran
10.	30848760	Aditya Swarup	05.01.1990	UR	West Champaran
11.	30348081	Nuzhat Perveen	14.01.1983	UR	Saran
12.	30548324	Juli Rani	06.02.1992	UR	Nawada

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि:-

- दिनांक 28 फरवरी, 2023 तक उपरोक्त अपने नाम के सामने स्तंभ-6 में अंकित जिला में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- योगदान के पश्चात् एकरारनामा करने के लिए ₹1,000/- का भारतीय गैर न्यायिक (India Non Judicial) स्टाम्प पेपर, NOC (जो लागू हो) एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (जो सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो) के साथ, स्वयं सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष उपस्थित होंगे और जिला स्वास्थ्य समिति के साथ एकरारनामा सम्पन्न करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
- सरकारी या अन्य सरकारी संस्थान में कार्यरत होने की स्थिति में उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य होगा।

ज्ञापक: SHSB/GA/HR/7404/2022/6720 पटना, दिनांक 09/02/2023


Page 1 of 3





- (iv) यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए किया जायगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 60 (साठ) वर्ष की आयु तक के लिए या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत Record of Proceeding (RoP) में उक्त पद की स्वीकृति होने एवं राशि की उपलब्धता होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) अथवा सक्षम स्तर से निर्णय के अनुरूप संविदा अवधि का विस्तार संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर से किया जा सकेगा।
- (v) चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
- (vi) आवंटित/पदस्थापित जिला में योगदान करने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (vii) संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के मानव संसाधन नियमावली (HR Policy) के चैप्टर-2 (General Condition of Service) की कंडिका-22 में किये गये प्रावधान के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों से योगदान के क्रम में यथा-1. Attestation Form, 2. Marriage Declaration Form, 3. Character and Antecedent Certificate, 4. Self-Verification Form, 5. Nomination Declaration Form, 6. Contractual Employee service Agreement, 7. Employment Bond, 8. Statement of Assets & Liabilities की जानकारी विहित प्रपत्र के साथ दो (02) पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- (viii) उक्त अभ्यर्थियों का नियोजन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जाएगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।
- (ix) नवनियोजित BCM को एकमुश्त मानदेय ₹ 12,000/- (बारह हजार रूपये) मात्र प्रतिमाह का भुगतान संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति (DHS) से किया जाएगा। मानदेय/प्रतिमाह FMR code-HSS.9 Sl. No. 185.2 के तहत विकलनीय होगा।
3. जिला अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों पर पदस्थापन, संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा किया जाएगा।
4. सभी संबंधित सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, नवचयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद उनसे कार्य लेना प्रारंभ कर देंगे, ताकि जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। उक्त अनुपालन की सूचना/प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से इस कार्यालय के E-mail ID: shsbhrcell@yahoo.com पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश में कुल 03 पृष्ठ हैं एवं सभी पृष्ठ हस्ताक्षरित हैं।

ह०/-

(संजय कुमार सिंह)






राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



ज्ञापक : SHSB/GA/HR/7404/2022/6720 पटना, दिनांक: 09/02/2023

- प्रतिलिपि:** अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
- प्रतिलिपि:** संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** प्रशासी पदाधिकारी/सभी उप सचिव/अपर निदेशक (वित्त)/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (रोग नियंत्रण सहित), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के अधिकृत वेबसाइट-<http://shs.bihar.gov.in> पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।


कार्यपालक निदेशक

